THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-04 | Issue-03 | October-2025

Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i3.01

भारत में महिलाओं की स्थितिः यथार्थ के आइने में

[1]डॉ0रवीन्द्र कुमार वर्मा [2]डॉ0 अतुल कुमार कनौजिया

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर—इतिहास, रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर।
[2]एसो0 प्रोफेसर—अंग्रेजी, राजकीय महाविद्यालय, बीकापुर, अयोध्या।

सारांश

मानव समाज की संरचना में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की आधारशिला भी है। नारी जीवन को यदि "सृजन" और "संवर्धन" की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नारी ही जीवनदायिनी है। भारतीय परंपरा में नारी को देवी का रूप माना गया है कभी शक्ति, कभी लक्ष्मी और कभी सरस्वती के रूप में उसकी उपासना हुई है। किंतु यदि इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डाली जाए तो यह भी उतना ही सत्य है कि समाज ने हर युग में नारी को समान अधिकार और सम्मान नहीं दिया। इसीलिए नारी जीवन का मूल्यांकन करना केवल एक सामाजिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का भी प्रश्न है।

'वैदिक काल में नारी की स्थिति' गौर करने योग्य है। उस समय नारी को पुरुष के समान स्थान प्राप्त था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने शास्त्रार्थ कर अपनी विद्वत्ता सिद्ध की। वे शिक्षा, दर्शन और यज्ञ—कर्म में समान रूप से सहभागी थीं। यह युग नारी स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक था। लेकिन जैसे—जैसे समाज में जटिलताएँ बढ़ीं, उत्तरवैदिक और मध्यकालीन समय में नारी की स्थिति में गिरावट आई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज और अशिक्षा जैसी कुरीतियों ने उसे जकड़ दिया। नारी जीवन परिवार तक सीमित होकर रह गया।आधुनिक युग' में जब समाज सुधारकों ने इन रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया तो नारी जीवन में नया मोड़ आया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन का कार्य किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह की वकालत की और महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में नारी शक्ति को आगे लाकर उसकी नई पहचान स्थापित की। शिक्षा के प्रसार ने नारी जीवन को नई दिशा दी।

आज नारी केवल घर की देखभाल तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रशासन और उद्योग—धंधों में भी अपनी प्रतिभा सिद्ध कर रही है। वह आत्मनिर्भर बन रही है और समाज को नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ा रही है। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि नारी अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही हैकृलैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, शिक्षा और स्वास्थ्य की असमान उपलब्धि इत्यादि।नारी जीवन संघर्ष और उपलब्धि, दोनों का सम्मिश्रण है। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाई और समाज को दिशा दी। यदि नारी को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाएँ तो वह न केवल परिवार का बल्कि राष्ट्र का भी उत्थान कर सकती है।

किसी भी सभ्यता और संस्कृति की प्रगति नारी की स्थिति और उसकी गरिमा पर ही निर्भर करती है। नारी सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र भी सशक्त होगा।

बीज शब्द *– स्वतंत्रता, सृजन, संवर्धन, नजरअंदाज, लिंगानुपात, सशक्तिकरण।*

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में नारी को सदा से शक्ति, सृजन और संवेदना का प्रतीक माना गया है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता " अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। किंतु इतिहास के विभिन्न कालों में नारी की दशा में निरंतर परिवर्तन हुआ है। कभी वह सम्मान और स्वतंत्रता की अधिकारी रही, तो कभी समाज की कुरीतियों और बंधनों में जकड़ी रही। आज के युग में नारी पुनः अपनी गरिमा और अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। नारी की दशा का इतिहास उत्थान, पतन और पुनरुत्थान की यात्रा है।वैदिक काल में वह सम्मान की अधिकारी थी, मध्यकाल में वह कुरीतियों की शिकार बनी, और आधुनिक काल में उसने अपनी शक्ति और अस्तित्व को पुनः सिद्ध किया। आज की नारी समाज में 'समानता, शिक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक' बन चुकी है। नारी की दशा का इतिहास उत्थान और पतन की कहानी है। वैदिक काल में सम्मान, मध्यकाल में दमन, और आधुनिक युग में पुनः जागरण। आज की नारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की अग्रदूत भी है।अब वह अबला नहीं रही, बल्कि सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से परिपूर्ण है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि –

"नारी अबला नहीं, शक्ति का रूप है,
सृष्टि की जननी, संस्कृति की धूप है।"

आधुनिक युग वास्तव में 'नारी सशक्तिकरण और समानता का युग' है, जो आने वाले समय में समाज को और अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील तथा संतुलित बनाएगा।

नारी ने समाज की प्रत्येक समस्या के समाधान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खूबसूरत प्रकृति की एक सुन्दर सी काया है वह जिसे यू ही नजरअंदाज नही किया जा सकता है और न ही छोड़ा जा सकता है। जीवन की संरचना का आधार है नारी फिर इतना परेशान क्यों होती है नारी। सदिया बीत गयी और बितते चली जायेगी क्या उसकी परेशानियों से पुरूष समाज रूबरू हो पायेगा, पता नही क्या होगा ईश्वर जाने। मानवीय सभ्यता के अस्तित्व के शुरूवात की प्रथम सीढ़ी नारी ही है इसे कही से भी नकारा नहीं जा सकता है और न ही नकारने का सवाल उठ पायेगा।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक और ऊँची थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, वेदों का अध्ययन करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषियों ने अपने ज्ञान से समाज को दिशा दी। विवाह व्यवस्था में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी और वे स्वयंवर जैसी परंपराओं के माध्यम से वर चुन सकती थीं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में स्त्रियाँ गृहलक्ष्मी मानी जाती थीं तथा पति के साथ समान भागीदारी निभाती थीं। वैदिक काल स्त्रियों के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसमें उनका मूल्य पुरुषों के बराबर था और वे समाज, धर्म तथा संस्कृति की धुरी थीं।किन्तु सामान्य नारियों का जीवन अत्यन्त कठिन दौर से गुजरा, वजह सम्मान की हर स्तर पर कमीं बनी रही और न ही इसका विरोध महिलाओं के किसी भी स्तर पर किया गया इसकी वजह से उनका सामाजिक स्तर जहॉ का तहॉ रह गया। यही कारण रहा कि उनके जीवन में संसाधनो के अभाव के साथ सम्मान का

अभाव भी रहा है। हम यू भी कह सकते है कि सम्मान नाम की कोई चीज भी नारी जीवन मे होती भी है कि नहीं, इस समझ का भी ज्ञान नही था। नारी का जीवन तमाम विपरित परिस्थितियों से गुजरते हुए, संधर्ष का सामना आज तक नारी ने किया है। वो भी क्या दिन रहें होगें जब नारी नें धरती पर कदम रख्खा होगा । कल्पना कर के जाना या समझा जा सकता है कि कैसे जीवन की सुरक्षा से संघर्ष कर जीवन यापन किया जा सकता हैं। नारी ने हर वक्त अपने आप को पुरूष सत्ता के साथ संधर्ष करता हुआ पाया है। समाज के एक तबके ने घर की चहार दीवारी से नारी को धेरे रखा उसे कभी भी बाहर निकलने नही दिया। यथार्थ उसे बाहर की दुनियॉ से अनभिज्ञ रखा गया जो एक तरह से अन्याय का घोतक है।जीवन अमूल्य है चाहे वह नारी का हो या पुरूष का उससे किसी को वंचित करना समाज का सबसे बड़ा अपमान है। आपसी सामंजस ही दोनों को किसी भी समस्यॉ के समाधान में मदद करेगा। इसलिए दोनो की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे एक दूसरे को समझे और जीवन को आगे बढ़ायें।

प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्री–पुरुषों के बीच एकता के लिए जगह थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसी न किसी तरह उनके बीच एकता और समानता में गिरावट आई, खासकर महिलाओं की स्थिति, जो प्रारंभिक वैदिक काल में समान थी, बाद के वैदिक काल में गिरावट की ओर अग्रसर हुई। ऐसा माना जाता है कि उस युग में महिलाओं की स्थिति में गिरावट का मुख्य कारण विदेशी आक्रमण और विजय थी। निष्पक्षता और सद्भाव के ऋग्वैदिक आदर्शों का क्षरण हुआ, जिसने महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने, वैदिक मंत्रों का पाठ करने और वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने के उनके अधिकार का आनंद लेने से वंचित कर दिया। महिलाओं को विवाह करने या गृहस्थ जीवन में शामिल होने और अपने पति के प्रति अटूट समर्पण रखने के लिए मजबूर किया गया। उस समय माता–पिता को लड़की के जन्म पर शर्म आती थी।यही वजह है कि इसने समाज में कई और कुरीतियों को जन्म दिया जिससे महिलाओं का जीवन और भी मुश्किल हो गया। सती प्रथा, जौहर, लड़कियों की शिक्षा निषेध, विधवा विवाह, बाल विवाह जैसी कई पाबंदियाँ थीं।

प्राचीन काल में मानवीय समाज का समाजिककरण आज की तुलना में बिल्कुल नगण्य था। आज की स्थिति को प्राप्त करने में नारियों को हजारों वर्ष लग गये होगे, इसमें कोई दो राय नही कि इस दौरान उन्हें कई समस्याओं के बीच से गुजरना पड़ा होगा। अशिक्षा तात्कालिन समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी लोगों का इससे दूर–दूर तक कोई नाता नहीं दिखाई देता था। खामियाजा अंधविश्वास में बढ.ोतरी जिसने जो उपदेश दिया उसे उसी रूप में स्वीकार कर अपने जीवन में उतार लिया। इसे ही जीया जीवन भर और इसे ही अपने बच्चों को सिखायॉ, समझाया व उनका लालन – पालन भी इसी के साथ किया। आने वाली पीढ़ियों ने भी इसी का अनुशरण किया। यह धीरे–धीरे अपने पैर पसारते चला गया और नारी समाज को पुरी तरह जकड़ लिया। जकड़न भी ऐसी–वैसी नही थी कि कुछ समय अन्तराल बाद निकलना भी चाहे तो बच कर निकल सके। आने वाली पीढ़ियो के बारे में जहॉ तक सोचा जाय तो यह बात मुखर होकर सामने आती है कि अंधविश्वासों से बचने की कौन कहे यहॉ तो उलटे लोग अंधविश्वासों के ही प्रचार में लग गये। छोटे–छोटे बच्चों को जीवन के प्रारंम्भ से ही अंधविश्वासों के साचे में ढ़ालना शुरू कर दिया गया। जानकारी का अभाव व नासमझि में बच्चे उसी तरह ढ़लते गये जैसा लोगों ने कहॉ और समझाया। बचपन को आप जिस ढ़ाचे में रखकर जैसा बनाना चाहेगें वह उसी रूप में समाज के सामने आयेगा।इस काम में मानों पुरूष वर्ग को महारत हासिल थी वह हर प्रकार का शोषण बिना किसी संकोच के प्रायः करता रहता था। बेटियों को समाज में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नही था उन्हें हर अधिंकार से मानो वंचित रखा गया था। अधिकारो से वंचित रखना मानो उसकी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था।

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति समय के साथ बदलती रही है। जहाँ वैदिक काल में उन्हें सम्मान, स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, वहीं मध्यकाल तक आते–आते उनकी स्थिति में गिरावट देखने को मिली। इस काल में राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी आक्रमणों, सामाजिक रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। तथापि, इसी काल में भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा ने स्त्रियों को आध्यात्मिक मंच भी प्रदान किया। मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा लगभग समाप्तप्राय हो गई।केवल राजघरानों या उच्च वर्ग की स्त्रियों को संगीत, नृत्य और साहित्य की शिक्षा मिलती थी । सामान्य परिवारों की स्त्रियाँ निरक्षर रहीं और घरेलू कार्यों तक सीमित रहीं।पितृसत्ता मजबूत हो चुकी थी। स्त्रियों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए पर्दा प्रथा और एकांतवास प्रचलित हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा जैसी कुरीतियाँ स्त्रियों के लिए अभिशाप बनीं।पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों का जीवन कठिन हो जाता था और उन्हें सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियाँ खेत–खलिहान, बुनाई, चरखा कातने और हस्तशिल्प में सक्रिय रहीं।परंतु संपत्ति पर उनका अधिकार लगभग नगण्य था।उन्हें पुरुषों पर आश्रित माना जाता था। स्त्रियाँ धार्मिक अनुष्ठानों और पारिवारिक पूजा–पाठ तक सीमित थीं।किंतु भक्ति आंदोलन ने उन्हें समाज में नया स्थान दिलाया।संत मीराबाई, अक्का महादेवी, संत सोयराबाई जैसी महिलाओं ने धर्म और अध्यात्म के माध्यम से अपनी पहचान बनाई।सूफी परंपरा में भी स्त्रियों की भागीदारी देखने को मिलती है, जहाँ उन्हें आध्यात्मिक साधना की स्वतंत्रता मिली।

मध्यकाल में महिलाओं का मूल्य मुख्यतः ''गृहस्थ जीवन, पति की सेवा और परिवार की मर्यादा'' तक सीमित कर दिया गया था। उन्हें त्याग, समर्पण और सहनशीलता का प्रतीक माना गया। यद्यपि यह मूल्य उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाता था, किंतु यह उनकी स्वतंत्रता और विकास के मार्ग में बाधा भी बना। मध्यकाल भारतीय स्त्रियों के लिए विरोधाभासी काल था। एक ओर उन्हें सामाजिक रूढ़ियों, पर्दा प्रथा और कुरीतियों ने जकड़ लिया, जिससे उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता समाप्त हो गई। वहीं दूसरी ओर भक्ति आंदोलन और संत परंपराओं ने उन्हें समाज में आत्मप्रकाश और सम्मान दिलाया। यदि वैदिक काल को स्त्रियों के उत्कर्ष का युग कहा जाता है तो मध्यकाल को उनके पतन और पुनः जागरण की मिश्रित अवस्था माना जा सकता है। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति वैदिक काल की तुलना में काफी गिर चुकी थी। शिक्षा और स्वतंत्रता सीमित हो गई, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों ने उनके जीवन के बंधनों में जकड़ दिया। स्त्रियों का मूल्य केवल गृहस्थ जीवन और परिवार की मर्यादा तक सीमित कर दिया गया। फिर भी इस अंधकारमय परिस्थिति के बीच भक्ति आंदोलन और सूफी संतों की परंपरा ने महिलाओं को अपनी प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति दिखाने का अवसर दिया। मीराबाई जैसी संत कवयित्रियों ने समाज में यह संदेश दिया कि स्त्री केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं, बल्कि वह भी भक्ति, ज्ञान और संस्कृति की वाहक हो सकती है।अतः कहा जा सकता है कि मध्यकाल स्त्रियों के लिए ''पतन और आंशिक पुनर्जागरण का काल'' था, जिसने आगे आने वाले युग में उनके सामाजिक सुधार और पुनः उत्थान की नींव रखी।

मध्यकाल में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को भौतिक वस्तु मानना समझना सामान्य बात थी। मध्यकाल में विधवाओं को अभिशप्त माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि विधवा होने पर वह अत्याचार और दुर्भाग्य लाती है। विधवा होने के बाद उस महिला को घर के हर उस सुख–सुविधा का त्याग करना पड़ता है जिसका वादा उसके पति ने विवाह के समय किया था। विधवाओं के लिए किसी भी पवित्र अनुष्ठान या स्थान में कोई स्थान नहीं

था। उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता था। उन्हें हमेशा फीके सफेद कपड़े पहनने पड़ते थे और उन्हें बहुत ही विशिष्ट भोजन करना पड़ता था जो केवल विधवाएं ही खाती थीं। महिलाओं के लिए कोई शिक्षा नहीं थी। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि अतीत में महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिदृश्य पूरी तरह बदल गया, उनकी शिक्षा का आयाम बदल गया और उन्हें सभी घरेलू कार्य सिखाए जाने लगे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्म में उन्हें ललित कला की शिक्षा दी जाती थी। फिर भी इस काल में महिलाओं की पीड़ा कभी कम नहीं हुई।

एक बेटी ने, एक बहन ने, एक मॉ ने किस कदर तात्कालिन पुरूष वर्चस्व वाले समाज के अत्याचार व शोषण को आजीवन सहा होगा उसको इतिहास के पन्नो में भी कहीं जगह शायद ही नसीब हुई हो। हद तो तब हो जाती है जब कोई तो हो जो महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ समाज में उनकी तरफ से आवाज उठा सके। सब शान्त बोले तो कौन बोले। किसी ने भी कहीं से भी कभी आवाज उठानें का थोंड़ा भी प्रयास किया होगा उसे सामाज से बाहर की राह दिखा दिया गया होगा। डर , भय के कारण किसी ने चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पाई होगी। सभी पुरूषो को इसमें दोष देना न्यायसंगत नहीं होगा, किया तो गिंनती के चन्द लोंगो ने, अधिकतर ने तो मात्र उनके साथ हा में हा मिलाकर बस उनका अनुसरण किया, ऐसा मात्र वाहवाही में अपने को श्रेष्ठ समझने के लिए किया। सदियों तक इस परंम्परा की चादर मोंटी होती गयीं होगी, तात्कालिक समाज ने शायद ही कभी इस पहलू पर विचार किया होगा। ऐसा कब तक चला होगा, और क्या– क्या महिला समाज ने झेला होगा, कुछ भी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कहीं किसी इतिहास की किताब के पन्नों में इसको जगह दी गयीं होगीं। देता भी कौन जब समाज में शिक्षा का अधिकार मात्र पुरूषो के पास ही सुरक्षित था।

भारत में महिला सशक्तिकरण के इस आधुनिक काल की शुरुआत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान कई नाम सामने आते हैं। उस समय बेगम हजरत महल, उदा देवी और अजीजुन बयाल जैसी असाधारण बहादुर महिलाएँ थीं, और उनमें से एक झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई भी हैं।धीरे–धीरे भारत में महिला सशक्तिकरण की यह लड़ाई जोर पकड़ती गई। सामाजिक सुधार हुए और राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सारस्वत जैसे कई पुरुषों ने भी इनमें भाग लिया। इन सभी ने महिलाओं को समाज में उनका पुराना दर्जा वापस दिलाने में मदद की।इस सशक्तिकरण की उत्पत्ति और इसकी अवधारणा 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलनों में सामने आई थी।

ब्रिटिश शासकों और इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य हिस्सों से आए मिशनरियों की गतिविधियों ने भारतीयों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कुछ बदलाव लाए। मिशनरी महिला शिक्षा के पक्षधर थे और उन्होंने कलकत्ता, बंबई और मद्रास में लड़कियों के लिए कई स्कूल स्थापित किए। सरकार की पहल उल्लेखनीय थी। 19वीं सदी में भारत में लड़कियों की शिक्षा को काफी बढ़ावा मिला और पितृसत्तात्मक मानदंडों का विरोध किया गया जो उनकी शिक्षा के विरुद्ध थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षा समितियों की सिफारिश की गई। 1854 के शिक्षा प्रेषण में, महिला शिक्षा पर भारी दबाव बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में कई बालिका विद्यालय स्थापित किए गए।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में महिला सशक्तिकरण के आंदोलन धीमे पड़ गए। बहुत सी महिलाएँ अपने घरों को लौट गईं क्योंकि उन्हें उपनिवेशवादियों के खिलाफ लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अन्य महिलाएँ इस बात से संतुष्ट

©**The Research Dialogue** | **Received: 01 October 2025** | **Accepted: 06 October 2025** | **Published: 10 October 2025**

थीं कि परिषद ने उन्हें समानता का वादा किया, समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) की आशा जगाई, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जिससे उनकी समस्या और कम हो गई। इससे उत्पीड़न, भेदभाव, दहेज हत्या, बेरोजगारी, घटता लिंगानुपात, स्वास्थ्य सेवा का अभाव और शिशु मृत्यु दर आदि में वृद्धि हुई। पूरे भारत में सामाजिक–राजनीतिक अशांति थी। जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति, सीएसडब्ल्यूआई, की नियुक्ति की गई।आजादी और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कोई खास काम नहीं हुआ। उनके स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार आदि के क्षेत्र में उपेक्षा की गई। महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी बहुत कम रही।

आधुनिक काल भारतीय महिलाओं के लिए परिवर्तन और नवजागरण का युग सिद्ध हुआ है। वैदिक काल में जहाँ वे स्वतंत्र और सम्मानित थीं तथा मध्यकाल में रूढ़ियों और कुरीतियों के बंधन में जकड़ दी गईं, वहीं आधुनिक युग ने उन्हें शिक्षा, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान की। आज महिलाएँ विज्ञान, राजनीति, साहित्य, कला, खेल और व्यवसाय सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं।फिर भी चुनौतियाँ शेष हैं।लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और कार्यस्थल पर असुरक्षा जैसी समस्याएँ उन्हें पूरी स्वतंत्रता और समानता से वंचित करती हैं। तथापि यह निर्विवाद है कि आधुनिक युग ने महिलाओं को ''अधिकारों और अवसरों का नया क्षितिज'' प्रदान किया है। आधुनिक काल की महिला केवल परिवार की धुरी भर नहीं रही, बल्कि राष्ट्र निर्माण की अग्रणी शक्ति बनकर उभर रही है। आने वाला समय निश्चित ही महिलाओं के लिए ''संपूर्ण समानता, सशक्तिकरण और नेतृत्व'' का युग सिद्ध होगा। महिलाओं के मानवाधिकारों की शुरुआत महिलाओं के अनुभवों से होती है, जिन्हें मानवाधिकारों को देखने का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। नारीवादी विश्लेषण और अधिकार समर्थकों का कहना है कि लैंगिक दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी संरचनाएँ और प्रक्रियाएँ महिलाओं के जीवन के अनुभवों पर एक दृ ष्टिकोण रखती हैं।महिला अधिकार आंदोलनों के वैश्विक प्रयासों को उजागर करना आसान नहीं है। महिला अधिकार का अर्थ केवल महिलाओं की स्थिति और उनके स्वाभाविक जीवन में सुधार, पुनर्निर्माण और सुधार लाना ही नहीं है।महिलाओं के मानवाधिकारों की व्याख्या दो तरह से की जा सकती है। एक तो मानवाधिकारों का सामान्य ढाँचा, जिसमें भेदभाव न करने का सिद्धांत है जो सभी पर लागू होता है, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में लिंग–विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित है। महिलाओं द्वारा सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव का अनुभव स्थानीय परिवेश से ही उत्पन्न हुआ, यह इसलिए आसान था क्योंकि महिलाओं को कभी बुनियादी शिक्षा नहीं मिली जिससे वे खुद को भेदभाव और हिंसा से बचा सकें।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण को उनके वास्तविक सामाजिक सशक्तीकरण में बदलना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि यह पता चला कि स्थानीय निकायों में महत्वपूर्ण संख्या में महिलाओं के अस्तित्व के बावजूद, विधायिका में महिलाएं अभी भी लैंगिक हिंसा की चपेट में हैं। महिलाओं की राजनीतिक भूमिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में कभी कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन पितृसत्ता अभी भी राजनीतिक दुनिया में महिलाओं के लिए बाधाएं पैदा करने में कुटिलता से सक्रिय है। इसके अलावा, महिलाएं सभी वर्गों, जातियों, जातीयता आदि के साथ–साथ स्थानीय निकायों के साथ विधायिका में अधिक प्रतिनिधियों की हकदार हैं।यह लोकसभा में महिला सदस्यों की अग्रणी भूमिका से सुनिश्चित हुआ, जब उन्होंने घरेलू सहायकों को, जो हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं और जिन्हें रोजगार की परिभाषा से बाहर रखा गया है। 2011 में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण विधेयक' में शामिल किया

गया। भारत में अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की अवधारणाएँ एक–दूसरे पर निर्भर हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कई दशकों से बंधुआ मजदूरी के रूप में इसमें भाग ले रही हैं और उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। लगभग सभी देशों में, राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में महिलाओं के योगदान को अभी भी अनदेखा किया जाता है।

नारी केवल परिवार की संरक्षक ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति की धुरी है। यदि नारी कमजोर और असमानता से ग्रसित होगी तो समाज भी कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। इतिहास साक्षी है कि जब–जब नारी को उचित सम्मान और अवसर मिले हैं, तब–तब समाज ने ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। आज की नारी ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है। चाहे राजनीति हो या विज्ञान, साहित्य हो या कला, खेलकूद हो या प्रशासन , हर जगह उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। किंतु यह भी कटु सत्य है कि उसके सामने अब भी अनेक सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बाधाएँ खड़ी हैं। घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न, अशिक्षा और असमान अवसर जैसी समस्याएँ नारी को उसकी संपूर्ण क्षमता तक पहुँचने से रोकती हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन से संभव है। जब तक परिवार, समाज और राष्ट्र यह स्वीकार नहीं करेंगे कि नारी और पुरुष समान रूप से समाज के अंग हैं, तब तक वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं होगा। शिक्षा का प्रसार, कानूनी जागरूकता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समर्थन ही वह आधार हैं जिनसे नारी अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकती है। इस प्रकार, नारी जीवन का मूल्यांकन केवल अतीत और वर्तमान की स्थिति का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह भविष्य की दिशा भी तय करता है। एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानित नारी ही समृद्ध समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। वह अब केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख शक्ति है। भविष्य निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहाँ 'नारी और पुरुष दोनों मिलकर समानता, सम्मान और प्रगति का नया युग' रचेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि "नारी सशक्तिकरण मात्र एक नारा नहीं, बल्कि समूची मानवता की प्रगति की शर्त है। नारी ही जीवन का मूल है और उसकी गरिमा ही समाज का वास्तविक सौंदर्य है।"

सन्दर्भ सूची –

1. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004।
2. हन्फी,एम.ए,स्त्री शिक्षा, : विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा, 2016।
3. महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2018।
4. ग्रान्ट, जुडिथ, फण्डामेन्टल फेमिनिज्म, न्यूयार्कः रूटेज,1993 ।
5. पाठक, डॉ सुमेधा, लिंग, विद्यालय और समाज, नीलकमल,दिल्ली,1986।
6. नसरीन, तसलीमा, औरत के हक में, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली,1998।
7. रानी, उषा, महिला सशक्तिकरण, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016।
8. रामासामी, ई.वी., पेरिवार जाति–व्यवस्था और पितृसत्ता, राधाकृष्णन प्रकाशन, दिल्ली, 2020 ।
9. बर्जर, पी.एण्ड थामस लुकमन, द सोशल कन्सट्रक्शन आफ रियलिटि, एलेन लेन, लंदन,1967।
10. फायरस्टोन, एस.,द डाइलेक्टिक आफ सेक्स, द विमेन प्रेस, लंदन, 1979।
11. गैरी बेकर और अमर्त्य सेन,विकास स्वतंत्रता के रूप में, ओक्सफॉर्ड विश्विद्यालय प्रेस, न्यू यॉर्क, 1999।
12. बोउवा, सीमोन द, अनु. पारस्ले एच.एम., द सेकिन्ड सेक्स, पेन्गिविन, लंदन, 1972।
13. राय, कल्पना, महिला और उनका वातावरण, रजत पब्लिकेशन, जयपुर, 1994. ।

14. शर्मा, के.एल., भारतीय समाज, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, 1989, ।

15. हसनैन, नदीम, समकालीन भारतीय समाज, एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2004, ।

16. रामासामी, ई.वी., पेरियार जाति–व्यवस्था और पितृसत्ता, राधाकृष्णन प्रकाशन, दिल्ली,2020 ।

17. Nath pramanik rathindra, gender Lhequality and women's empowerment, abhijeet publication Delhi, 2006.

18-. Sharadha Deva "Sexual Harassment of Women at Workplace - A Legal Mayth", Journal of India Education, Vol. XXXX, No. 3. Nov. 2014.

19. Government of India "Towards Equality" Report of the Committee on the Status of Women in India. 1975.

20. Padmavati, K. Empowerment of Women. New Delhi: Serials Publication, (2016).

21. Mishra,S & Puri, V. Indian Economy,Himalaya Publishing House ,Mumbai: 2018-19

22. https://nss.gov.in

Cite this Article:
वर्मा, डॉ0 रवीन्द्र कुमार., कनौजिया,डॉ0 अतुल कुमार. (2025). भारत में महिलाओं की स्थितिः यथार्थ के आइने में. The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, 3(1), pp.01 – 08.
https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i3.01

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

[1]डॉ0रवीन्द्र कुमार वर्मा [2]डॉ0 अतुल कुमार कनौजिया

For publication of research paper title

“भारत में महिलाओं की स्थिति: यथार्थ के आइने में”

Published in ‘The Research Dialogue’ Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-03, Month October, Year-2025.

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i3.01